भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4121

उत्तर देने की तारीख 12 दिसम्बर, 2019
21 अग्रहायण, 1941 (शक)

खेलों को बढ़ावा

4121. श्री जी. सेल्वमः
श्री धनुष एम. कुमारः
श्री सोयम बापू रावः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों को बढ़ावा दे रही है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक खेलों की अनदेखी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या निधि की कमी के कारण खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ग्रामीण युवाओं सहित खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, खेल मैदान, ट्रैक और खेल प्रशिक्षण सुविधाओं सहित खेल अवसंरचना प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आबंटित/जारी/खर्च की गई निधि का योजना-वार/खेल-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खेल महासंघ, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, उन्हें आबंटित निधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार के पास खेल संघों के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकारी निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से खेल क्षेत्र हेतु वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) क्रिकेट को बढ़ावा दे रहा है। बीसीसीआई के साधन-सम्पन्न होने के कारण, यह मंत्रालय बीसीसीआई या क्रिकेट के किसी खिलाड़ी को वित्तीय

सहायता प्रदान नहीं कर रहा है। यह मंत्रालय खो-खो, मलखंभ, कबड्डी, कलारिपय्याट्टू, थंगटा, गतका जैसे देशज/ परंपरागत खेलों से संबंधित खेल परिसंघों/ खेल संवर्धन संगठनों को सहायता उपलब्ध कराकर इन खेलों को बढ़ावा दे रहा है।

(ख) इस मंत्रालय की खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं से अधिसंख्य खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सरकार खिलाड़ियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा भी अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। निजी क्षेत्र भी खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण में निवेश कर रहा है।

(ग) इस मंत्रालय और राज्य सरकारों के अंतर्गत उपलब्ध खेल अवसंरचना के तहत अधिसंख्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। चूंकि, खेल अवसंरचना को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है, यह मंत्रालय खेल अवसंरचना की कमियों को दूर करके और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों की पूर्ति कर रहा है।

(घ) खिलाड़ियों को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार सहायता प्रदान नहीं की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं में भाग लेने और विदेश में एक्सपोजर के लिए प्रदत्त सहायता का ब्यौरा अनुबंध-I से III में दिया गया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेलों इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेल अवसंरचना की कमियों को दूर करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

(ङ.) यह मंत्रालय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में उनकी प्रतिभागिता के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सामान्यत: व्यय होने के बाद धनराशि जारी की जाती है।

(च) इस मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों के उच्च प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में उनकी प्रतिभागिता के वार्षिक लक्ष्य प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर (एसीटीसी) को तैयार करने की प्रतिवर्ष की प्रक्रिया में विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए अनुमोदित किए जाते हैं। अनुमोदित एसीटीसी को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएसएफ के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का यह तन्त्र एसीटीसी में निहित होता है।

(छ) कारपोरेट/ निजी क्षेत्र की भागीदारी से राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) की स्थापना खेलों में वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करने के लिए की गई है। कारपोरेट/ निजी क्षेत्र को एनएसडीएफ में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एनएसडीएफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों को आयकर से छूट प्राप्त है और यह कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यकलापों में शामिल है। सरकार एनएसडीएफ में समतुल्य योगदान करती है।

****

अनुबंध-I

खेलों को बढ़ावा के संबंध में श्री जी. सेल्वम, श्री धनुष एम. कुमार और श्री सोयम बापू राव द्वारा दिनांक 12.12.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4121 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र. सं.	खेल विधा	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (19.11.2019 तक की स्थिति)**
1.	तीरंदाजी	337.09	631.93	800.00	861.00
2.	एथलेटिक्स	416.61	131.54	3210.00	2299.00
3.	बैडमिंटन	543.69	598.67	2015.00	1648.00
4.	बास्केटबाल	26.03	55.47	144.71	74.00
5.	बिलियर्डस और स्नूकर	46.46	60.65	135.00	121.00
6.	मुक्केबाजी	286.59	484.12	3600.00	2296.00
7.	ब्रिज	86.57	17.16	62.82	127.00
8.	शतरंज	155.25	189.64	39.00	370.00
9.	साइक्लिंग	65.33	106.23	719.00	431.00
10.	बधिरों के लिए खेल	61.53	00.00	107.29	109.00
11.	घुड़सवारी	6.05	0.66	90.61	00.00
12.	फेंसिंग	114.55	90.46	295.00	88.00
13.	फुटबाल	909.53	833.07	1170.93	859.00
14.	गोल्फ	47.15	47.96	106.00	34.00
15.	जिम्नास्टिक	113.67	108.82	170.00	176.00
16.	हैंडबाल	00.00	69.60	260.00	172.00
17.	हाकी	1201.77	915.40	2260.00	1263.00
18.	जूडो	8.61	80.67	385.00	260.00
19.	कबड्डी	17.88	29.21	170.00	44.00
20.	कयाकिंग और कैनोइंग	21.63	116.98	373.00	140.00
21.	पैरा खेल	184.55	330.48	406.53	619.00
22.	रोइंग	46.22	83.55	455.00	276.00
23.	स्कूल गेम्स	46.31	89.82	18.82	33.18
24.	सेपकटाकरा	67.80	77.18	498.00	138.00

25.	निशानेबाजी	973.93	962.95	3140.00	1502.00
26.	स्पेशल ओलंपिक्स	28.36	101.35	509.00	228.00
27.	स्क्वैश राकेट	160.52	216.87	188.00	139.00
28.	तैराकी	91.17	171.59	266.00	172.00
29.	टेबल टेनिस	176.44	326.06	597.15	441.00
30.	टेनिस	21.41	49.91	150.00	43.00
31.	ताइक्वांडो	74.65	5.69	00.00	00.00
32.	वालीबाल	22.58	15.88	498.00	378.00
33.	भारोत्तोलन	176.83	280.20	580.00	1123.00
34.	कुश्ती	549.02	604.95	2300.00	2081.00
35.	वुशु	168.46	105.02	396.93	169.00
36.	याटिंग	56.22	174.38	416.00	163.00

खेलों को बढ़ावा के संबंध में श्री जी. सेल्वम, श्री धनुष एम. कुमार और श्री सोयम बापू राव द्वारा दिनांक 12.12.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4121 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) सहित एनएसडीएफ के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रु.)

खेल विधा	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (31.10.2019 तक)**
तीरंदाजी	101.5	195.85	141.16	41.88
एथलेटिक्स	355.16	217.26	233.28	147.43
बैडमिंटन	116.44	71.8	79.45	104.27
मुक्केबाजी	140.03	151.82	129.65	-
शतरंज	13.51	9.45	40.10	7.81
साइक्लिंग	7.65	37.55	87.68	-
घुड़सवारी	0.00	0.00	0.00	-
फेंसिंग	0.00	15.14	9.98	-
गोल्फ	11.43	0.00	0.00	-
जिम्नास्टिक	12.98	87.45	53.24	-
हाकी	116	0.00	27	-
जूडो	11.83	29	53.21	-
ल्यूज	0.00	26	0.00	-
पैरा-खेल	326.42	289.55	304	257.37
सेलिंग	2.45	0.00	0.59	-
निशानेबाजी	615.38	391.17	462	200.36
स्क्वैश	8.38	54.67	44.78	6.57
तैराकी	18.24	20.99	22.31	-
टेबल टेनिस	112.96	82.52	57.73	43.5
टेनिस	251.86	52.05	210.46	73.98
भारोत्तोलन	59.85	166.5	49.65	49.66
शीतकालीन खेल	0.00	29.34	0.00	-
कुश्ती	259.04	97.52	156	174.69
वुशु	48.37	63	87.37	-
याटिंग	0.00	0.00	0.00	-

अनुबंध-III

खेलों को बढ़ावा के संबंध में श्री जी. सेल्वम, श्री धनुष एम. कुमार और श्री सोयम बापू राव द्वारा दिनांक 12.12.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4121 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत प्रदत्त निधियां

(लाख रु.)

स्कीम का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (30.09.2019 तक)
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता	40.61	90.00	74.45	84.05	59.00	35.12
सेना बाल खेल कंपनीज	1074.99	649.52	1477.93	1093.30	1425.00	823.71
विशेष क्षेत्र खेल	458.31	663.28	724.98	911.45	858.00	553.70
साई प्रशिक्षण केंद्र	2828.57	3653.12	4676.35	5010.57	4161.00	2,330. 77
उत्कृष्टता केंद्र	224.17	230.52	300.23	299.01	379.00	137.67

<u>अनुबंध</u><u>-IV</u>

खेलों को बढ़ावा के संबंध में श्री जी. सेल्वम, श्री धनुष एम. कुमार और श्री सोयम बापू राव द्वारा दिनांक 12.12.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4121 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2016-17 में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा

(**करोड़ रु.)**

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**अवसंरचना**
1.	आंध्र प्रदेश	6.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.50
3.	असम	3.50
4.	गुजरात	2.50
5.	हरियाणा	2.00
6.	जम्मू और कश्मीर	1.80
7.	झारखंड	1.00
8.	कर्नाटक	9.80
9.	केरल	2.50
10.	मध्य प्रदेश	3.50
11.	महाराष्ट्र	4.00
12.	मिजोरम	2.00
13.	ओडिशा	2.50
14.	पंजाब	4.64
15.	राजस्थान	5.44
16.	तेलंगाना	2.00
17.	उत्तराखंड	4.00
18.	उत्तर प्रदेश	1.50
19.	पुडुचेरी	4.46
कुल		66.14

वर्ष 2017-18 में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**अवसंरचना**
1.	आंध्र प्रदेश	4.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.25
3.	असम	15.20
4.	छत्तीसगढ़	2.50
5.	गुजरात	5.50
6.	हरियाणा	12.50
7.	जम्मू और कश्मीर	1.00
8.	झारखंड	1.07
9.	कर्नाटक	12.50
10.	केरल	3.00
11.	मध्य प्रदेश	10.50
12.	महाराष्ट्र	7.00
13.	मणिपुर	5.29
14.	मिजोरम	4.30
15.	नागालैंड	2.00
16.	ओडिशा	11.56
17.	पंजाब	6.00
18.	राजस्थान	36.12
19.	तेलंगाना	6.50
20.	तमिलनाडु	7.00
21.	त्रिपुरा	2.50
22.	उत्तराखंड	9.30
23.	उत्तर प्रदेश	15.00
24.	पश्चिंग बंगाल	6.50
25.	साई (नई दिल्ली)	16.08
	कुल	218.17

वर्ष 2018-19 में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अवसंरचना
1.	अरुणाचल प्रदेश	39.50
2.	असम	6.32
3.	गुजरात	3.00
4.	हरियाणा	17.10
5.	हिमाचल प्रदेश	2.50
6.	कर्नाटक	9.50
7.	केरल	14.15
8.	मध्य प्रदेश	14.29
9.	महाराष्ट्र	19.87
10.	मणिपुर	19.15
11.	नागालैंड	5.00
12.	ओडिशा	0.69
13.	राजस्थान	11.36
14.	सिक्किम	3.00
15.	तमिलनाडु	4.00
16.	उत्तराखंड	1.00
17.	उत्तर प्रदेश	43.43
18.	पुडचेरी	3.00
	कुल	216.86

वर्ष 2019-20 में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा (31.10.2019 तक)

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**अवसंरचना**
1.	असम	5.50
2.	हरियाणा	2.00
3.	हिमाचल प्रदेश	11.13
4.	जम्मू और कश्मीर	6.00
5.	कर्नाटक	12.03
6.	केरल	4.50
7.	मध्य प्रदेश	1.39
8.	महाराष्ट्र	20.06
9.	मणिपुर	1.50
10.	मिजोरम	2.50
11.	ओडिशा	3.31
12.	पंजाब	11.09
13.	राजस्थान	24.53
14.	उत्तर प्रदेश	11.03
15.	पश्चिम बंगाल	8.03
16.	दिल्ली	38.39
	कुल	162.99

****